

मंगलवार

दिनांक :- 09-01-2018

शांति भंग करने के 28 आरोपी गिरफ्तार :-

गजानन्द उ0नि0 थानाधिकारी थाना रवाजना डूंगर ने 1- मनोज पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 35 साल जाति कुम्हागर निवासी पांचोलास 2 निजामुदान पुत्र नजिर मोहम्मसद जाति लोहार उम्र 55 साल नि0 पाचोलास थाना रवाजना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार प्रताप सिंह स0उ0नि0 थाना सूरवाल ने 1. रामधन पुत्र श्री भूरा उम्र 45 साल , 2. सुरेश पुत्र श्री भूरा उम्र 42 साल जातियान रैगर निवासियान भगवतगढ थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार जितेन्द्र सिंह उ0नि0 थानाधिकारी थाना वजीरपुर ने 1. श्री समयसिंह पुत्र श्री चिरजी मीना 2. श्री रमन पुत्र श्री रामधन मीना 3. श्री अजय पुत्र श्री रामरतन मीना 4. प्रकाश पुत्र मूश्या मीना जातियान मीना निवासीयान खण्डीप थाना बजीरपुर 5. श्री नरेश पुत्र रामखिलाडी कोली निवासी रायपुर 6. श्री मोहरसिंह पुत्र श्री रामकुमार मीना निवासी सैंगरपुरा थाना करौली सदर 7. श्री अशोक पुत्र श्री उदयसिंह जाट निवासी खेडला थाना बजीरपुर 8. संतोष पुत्र श्री घूडमल मीना निवासी बगलाई थाना पीलौदा 9. श्री आशीष पुत्र श्री मिनिस्टर मीना निवासी मीना बडौदा थाना बजीरपुरी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार केहरी सिंह हैड कानि0 थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने 1 असलम , 2 साबू पुत्र अज्जाक उर्फ रज्जाक व 3. अज्जाक उर्फ रज्जाक पुत्र बाबूहीन जातियान मुसलमान कुरेशी निवासी अबूबकर मस्जिद के पास गंगापुरसिटी व 4.बन्दू पुत्र चिरागुद्दीन निवासी अबूबकर मस्जिद के पास गंगापुरसिटी 05. श्री हरीलाल पुत्र धन्ना उम्र 42साल 6., मुन्शी पुत्र धन्ना उम्र 32 साल जातियान गुर्जर निवासीयान छारा थाना गंगापुरसिटी 7. चौथीलाल पुत्र किशनलालजाति कोली निवासी कोलीपाडा गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार नरेश पोषववाल उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी कोतवाली ने 1.श्यामलाल पुत्र किशोरीलाल जाति बैरवा उम्र 40 साल निवासी छाहरा थाना गंगापुरसिटी, 2. अनिल पुत्र कालूराम उम्र 24 साल जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती चौथ का बरबाडा थाना चौथ का बरबाडा 3. नरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण रैगर उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं. 03 महकलां थाना गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार श्याम सुन्दर उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी कोतवाली ने 1.लोकेश पुत्र श्रीराममीना उम्र 19 साल जाति मीना निवासी खण्डीप थाना वजीरपुर 2. विष्णु कुमार मीना पुत्र नेमीचन्द मीना उम्र 19 साल निवासी खण्डीप थाना वजीरपुर 3. कृष्णा मीना पुत्र रामप्रसाद मीना जाति मीना उम्र 25 साल निवासी कांचरौली थाना हिण्डोन सदर जिला करौली हाल किरायेदार श्री मुरारी लाल मीना का मकान लाटा हाउस का मकान मस्जिद के पास गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अजीत सिंह स0उ0नि0 थाना सदर गंगापुर सिटी ने 1. श्री सोहन लाल पुत्र माधोलाल जाति लोधा उम्र 35 साल निवासी कस्वा चाकसू थाना चाकसू जिला जयपुर 2. श्री राजकपूर पुत्र कजोड सिंह जाति लोधा उम्र 40 साल निवासी जयसिंहपुरा थाना चाकसू जिला जयपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाते 05 आरोपी गिरफ्तार :-

तेजसिंह हैडकानि0 थाना मानटाउन ने 01. श्री हेमराज पुत्र कल्याण जाति मीना उम्र 44 साल नि0 मुई थाना रवाजना डूंगर स0मा0 02. श्री दिनेश पुत्र रामफूल जाति मीना उम्र 27 साल नि0 मुई का टापरा थाना रवाजना डूंगर स0मा0 03. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री बलराम जाति मीना उम्र 39 साल नि0 मुई का टापरा थाना रवाजना डूंगर स0मा0 04. श्री मनीष पुत्र बृजराज सिंह जाति जाट उम्र 21 साल नि0 राडेप थाना आवरा जिला श्योपुर म0प्र0 05. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति जाट उम्र 24 साल नि0राडेप थाना आवरा जिला श्योपुर म0प्र0 को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

ध्वनि प्रदूषण करने का आरोपी गिरफ्तार:—

विनोद कुमार उपनिरीक्षक थाना रवांजना डुंगर ने मुकुन्द पुत्र बदरी लाल गुजर उम्र 26 साल निवासी फतेह पुरा तन खजूरा थाना रवांजना डुंगर को तेज आवाज में डेकमशीन स्पीकर बजाने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर ट्रेक्टर में तेज आवाज में स्पीकर बजाते हुए जा रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मु0न0 11/18 धारा 4/6 आरएनसी एक्ट में थाना रवांजना डुंगर पर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब बेचते हुये 01 आरोपी गिरफ्तार :-

पप्पू लाल स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री श्रवण पुत्र बदरी जाति बावरी उम्र 35 साल निवासी हमीर पुल के नीचे कच्ची बस्ती थाना मानटाउन स0मा0 को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी ग्राम सेवा में 40 पब्ले देशी शराब बेचते पाया गया। आरोपी से लाइसेंस बाबत पूछा तो संतोषजनक जबाब नहीं दिया जिस पर आरोपी के विरुद्ध मु0न0 17/2018 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट, में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 02 आरोपी गिरफ्तार :-

विनोद कुमार उ0नि0 थाना रवांजना डुंगर ने रामसह पुत्र जोधराज जाति बैरवा उम्र 22 साल नि0 श्योपुरा थाना रवांजना डुंगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार गिरिराज प्रसाद स0उ0नि0 थाना मलारना डुंगर ने देवीराम पुत्र हुकमचन्द जाति गुर्जर उम्र 18 साल निवासी कडी गावंडी थाना सदर गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 04 आरोपी गिरफ्तार :-

रविन्द्र सिंह हैड कानि0 थाना रवांजना डूंगर ने 1- झंजू पुत्र नाथूलाल जाति मालो उम्र 35 साल निवासी पीपलवाडा थाना रवांजना डूंगर 2- श्योजी पुत्र बट्टी जाति मालो उम्र 40 साल निवासी पीपलवाडा थाना रवांजना डूंगर को सार्वजनिक स्थान पीपलवाडा पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52 ताश पत्ते व 1010 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 17/18 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार अजीम सिंह हैड कानि0 थाना खण्डार ने 1. मानसिंह पुत्र राधाकिशन बैरवा निवासी मेड़ कला 2. कजोड पुत्र रोडू बागरिया निवासी पावण्डी थाना खण्डार को सार्वजनिक स्थान मेड़ कला पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52 ताश पत्ते व 1750 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 08/18 दर्ज किया गया।

सट्टे की खाईवाली करते 02 आरोपी गिरफ्तार :-

रामवतार शर्मा स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री मोहन लाल मीणा पुत्र श्री मूलचन्द जाति मीणा उम्र 49 साल निवासी जटलाव थाना बौली जिला सवाई माधोपुर को सार्वजनिक स्थान ई0एस0आई0 डिस्पेन्सरी के सामने बजरिया पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 1300 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 16/18 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार तेज सिंह हैड कानि0 थाना मानटाउन ने श्री तेजू उर्फ तेजेन्द्र पुत्र गुलाब चन्द यादव उम्र 32 साल नि0 आईएचएस कालोनी थाना मानटाउन स0मा0 को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 1400 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 18/18 दर्ज किया गया।